आदित्य आदि बनाम बलवीर आदि

प्रकरण सं. 64/2025 अन्तर्गत धारा 88,53,188 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीषियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
13.06.2025	वकुलाए फरिकैन उपस्थित। वकुलाए फरिकैन की प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद भूमि प्रार्थी की प्रतिवादी सं. 1 व 2 से जरिये बैयनामा दावा पेश होने से पहले की खरीदशुदा कृषि भूमि है। वादीगण ने उक्त तथ्य को छुपाते हुए प्रार्थी को बिना पक्षकार बनाये दावा पेश किया है। प्रार्थी वाद में हितबद्ध पक्षकार है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया जावे। दूसरी तरफ वकील अप्रार्थी/वादीगण ने अपनी बहस में जबाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद भूमि में से 0.0223 है. भूमि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से पूर्व ही खरीदशुदा भूमि है तथा प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं हुआ है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने इस तथ्य को छुपाकर मेरी खरीदशुदा भूमि को जोड़कर समस्त भूमि का बैचान प्रार्थी को कर दिया। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड आदि से जाहिर होता है कि वाद भूमि प्रार्थी की जरिये बैयनामा खरीदशुदा भूमि है। इसलिये वादपत्र में प्रार्थी को सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं. 4 पर अभिषेक चौधरी पुत्री सुनील खोड जाति जाट निवासी वार्ड नं. 13 रणजीतपुरा, 9 आरपी तहसील व जिला हनुमानगढ़ को पक्षकार संयोजित किये जाने के आदेश दिये जाते है। मूल वाद पत्र के शीर्षक में उक्तानुसार लाल स्याही से अकिंत किये जावे। पत्रावली वास्ते जबाब आईन्दा तारीख 23.06.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible]	
23.6.2025	वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी [illegible] इसलिए वाद-पत्र आगे नहीं [illegible] मौजूदा स्थिति में खारिज [illegible] वाद-पत्र मौजूदा स्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	आदित्य शुभम [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.06.30 15:53:25 IST
Reason: SelfAttested